क्र/1432 छ 1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

स्टाम्प ड्यूटी रूपये 13480/

13596
13/12/04

आफिस का मूल्य भूमि
का प्रीमियम रूपये 1,62,000/-
लीजरेंट रूपये 1292/-
(वार्ड नंबर 42)
नार्थतोडा की गाईड लाईन वर्ष
2004-2005 की निर्धारित दर
अनुसार.

कार्यालय, इंदौर विकास प्राधिकारी, इंदौर,
7, रेसकोर्स रोड़, इंदौर.
विक्रय-पत्र सह-लीजडीड

जावक क्रमांक : 1894

दिनांक : 13 DEC 2004

यह विक्रय पत्र **इंदौर विकास प्राधिकारी** की तरफ संपदा अधिकारी (जिसे आगे इस लीजडीड में **प्रथमपक्ष** संबोधित किया गया है तथा जिस संज्ञा में प्रथमपक्ष के उत्तराधिकारी का भी समावेश माना गया है) तथा **श्री सुशीलकुमार आत्मज श्री सच्चानंदजी धनवानी, निवासी 6, मॉडल टाउन कालोनी, केसर बाग रोड़, इंदौर (म.प्र.)** (जिसे इस लीजडीड में आगे **द्वितीयपक्ष** कहा गया है तथा जिस संज्ञा में द्वितीयपक्ष के उत्तराधिकारी का भी समावेश माना गया है) के बीच में आज दिनांक तहरीर किया गया है।

...2

संपदा अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

[illegible] 4260/-

7335 14.42

7 OCT 2004

02188

[illegible]

[illegible]

6 — [illegible]

[illegible]

(12960 + 517)
13477=00

1620-

1620-

20-

16740=

[illegible]

सुशील कुमार पु० श्री सच्चानंद धनवानी

[illegible] उप-पंजीयक [illegible] के कार्यालय [illegible] तारीख .... 1 [illegible] 200[illegible]

[illegible] 314=00

1000 Rs.

यह कि, प्रथमपक्ष के व्दारा योजना क्रमांक 43 (नार्थ तोड़ा) संजय सेतु, संजय मार्ग एवं संजय शापिंग कॉम्पलेक्स में बी.ओ.टी. निर्माण किये गये प्रथम मंजिल का आफिस क्रमांक 102 जिसका कुल क्षेत्रफल 258.33 वर्गफीट बिल्टअप एरिया को प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को कुल राशि रूपये 1,62,000/- (अक्षरी रूपये एक लाख बासंठ हजार मात्र) मे आवंटित किया गया है। किन्तु संपत्ति का मूल्य वर्ष 2004-2005 की गाईड लाईन में नार्थतोड़ा वार्ड क्रमांक 42 में निर्धारित दर रूपये 1,62,000/- जिसका उल्लेख उपर दिया गया है। द्वितीयपक्ष व्दारा उक्त राशि भी प्रथमपक्ष के कार्यालय में जमा की जा चुकी है।

उक्त आफिस की तल भूमि आनुपातिक लीज पर आवंटित की गई है। उक्तराशि में आफिस की कीमत के साथ-साथ तल भूमि अनुपातिक प्रीमियम भी सम्मिलित है तथा भूमि का अनुपातिक लीजरेंट रूपये 1292/-(अक्षरी रूपये एक हजार दौ सौ बानवें मात्र) वार्षिक निर्धारित किया गया है। विक्रीत आफिस को संलग्न साईट प्लान में परिशिष्ट "अ" के रूप में दर्शाया गया होकर उक्त परिशिष्ट इस विक्रय पत्र का अंग माना जावेगा।

प्रथम मंजिल की आफिस क्रमांक 102 है। जिसका कुल क्षेत्रफल 258.33 वर्गफीट बिल्टअप एरिया है जिसकी चर्तुःसीमा नीचे वर्णित है तथा उसे संलग्न साईट प्लान में लाल रंग से दर्शाया गया है।

...3

संपदा अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

7331
7 OCT 2004

021884

लीजदाता -

लीजग्रहिता - श्री सुशील कुमार पिता श्री सच्चानंद धनवानी
नि० 6. मॉडल टाउन कालोनी केसरबाग
रोड - इन्दौर

[illegible]
स्वीकार करते है कि तत्पश्चात्
लीज डीड विलेख का निष्पादन
किया गया था और प्रतिफल के
[illegible]
प्राप्त हो गया
[illegible]
[illegible]
[illegible]
से पंजीयन के [illegible]

(1) सच्चानंद पि० भोजराजमल
6 मॉडल टाउन - इंदौर
(2) लालचंद पि० रामलाल - बिजलपुर - इंदौर

13 DEC 2004

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

<u>आफिस की चर्तु:सीमा</u>

पूर्व में	:	आफिस क्रमांक 101
पश्चिम में	:	आफिस क्रमांक 103
उत्तर में	:	नार्थतोड़ा बस्ती
दक्षिण में	:	सड़क

उक्त चर्तु:सीमा के बीच का आफिस क्रमांक 102 जिसका कुल क्षेत्रफल 258.33 वर्गफीट बिल्टअप एरिया या 24.00 वर्गमीटर का मूल्य रूपये 1,62,000/- (अक्षरी रूपये एक लाख बांसठ हजार मात्र) एवं अग्रिम लीजरेंट रूपये 1292/-(अक्षरी रूपये एक हजार दो सौ बानवें मात्र) प्रतिवर्ष अग्रिम देय है। चालू वर्ष का लीजरेंट एवं प्रीमियम की रकम प्राधिकारी कार्यालय में जमा हो गई है। लीजगृहिता द्वितीयपक्ष ने आफिस का कब्जा प्राप्त कर लिया है।

यह कि, लीजगृहिता लीज पर दी गई संपत्ति को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था में गिरवी रख सकेगें। इस संबंध में प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगी।

....4

संपदा अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

यह कि, लीजगृहिता द्वितीयपक्ष व्दारा 15 + 1=16 वर्ष की संपूर्ण लीजरेंट की राशि एक मुश्त जमा करने पर आजीवन लीजरेंट जमा नहीं करना होगा। लीजरेंट की गणना कब्जा लेने की दिनांक से की जावेगी।

// शर्ते //

1. आफिस की तल भूमि प्रथम 30 वर्ष की लीज पर दी जावेगी। पश्चात् 30-30 वर्ष की अवधि के लिये लीज का नवीनीकरण दो बार किया जा सकेगा। नवीनीकरण करते समय 50 प्रतिशत तक लीजरेंट प्रत्येक बार बढाया जा सकेगा। परन्तु आजीवन लीजरेंट भरने पर इस शर्त से मुक्त रहेगा।

2. लीजरेंट की संगणना करने में रूपये के भाग को निकटतम रूपयों में पूर्णांकित किया जावेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया समझा जावेगा। जबकि 50 पैसे से कम भाग को छोड दिया जावेगा।

3. आफिस की छत एवं उसमें उपर निर्मित होने वाले भवन पर आपका किसी प्रकार का अधिकार एवं स्वत्व नहीं होगा।

....5

100Rs.

//5//

4. प्राधिकारी के अधिकृत अधिकारी को आफिस का निरीक्षण करने का अधिकार रहेगा।

5. प्रत्येक आफिस में विद्युत संयोजन आवंटिती द्वारा लिया जावेगा।

6. उक्त आफिस के लिये अंतरण की सुविधा प्राधिकारी के नियमानुसार [illegible]। अंतरण बाबद प्राधिकारी कार्यालय में प्रचलित नियमानुसार अंतरण शुल्क जमा [illegible] होगा।

7 आवंटिती को आफिस का रख-रखाव अपने खर्चे से करना होगा। सामान्य सुविधाओं (कामन फेसिलिटी) के रखरखाव के लिये [illegible] संबंधित [illegible] का [illegible] उससे संबंधित व्यय वहन करना होगा।

8. आ[illegible]स में अतिरिक्त [illegible] अथवा किसी प्रकार का [illegible] प्राधिकारी की स्वीकृति के बगैर नहीं किया जावेगा। बगैर स्वीकृति के किया [illegible] होगा एवं उससे अनुबंध खंडित [illegible] जावेगा।

9. [illegible] का उपयोग केवल [illegible] किया जावेगा [illegible] नहीं किया जावेगा।

संपदा अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

100 Rs.

10. लीजगृहिता को लीजडीड पंजीयन दिनांक से शासकीय, नगर पालिक निगम तथा अन्य टेक्सेस नियमों के अनुसार मांग होने पर देना होगें।

11. आफिस पर सहज में आग पकड़ने वाली वस्तुएं एकत्रित नहीं की जा सकेगी।

12. लीज अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लघंन होने पर लीज निरस्त की जावेगी एवं प्राधिकारी व्दारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं के व्ययन नियम 1975 के नियम 51 के अनुसार तथा विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

13. यह माना गया है कि उक्त शर्तों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत बने नियम 1975 एवं प्राधिकारी के प्रचलित विनियमों तथा संपत्ति के अंतरण नियमों का आवेदक को ज्ञान है एवं वह उस पर बंधनकारक है यदि प्राधिकारी भविष्य में कोई और विनियम इत्यादित बनाता है तो यह भी आवेदक पर बंधनकारक होगें।

14. इन शर्तो के अतिरिक्त शर्तो (यदि कोई हो तो) का उल्लघंन करने की स्थिति में किसी मुद्दे पर कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो अध्यक्ष, इंदौर विकास प्राधिकारी का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

...7

संपदा अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५०रु. 50RS

FIFTY RUPEES

 000594

15. जहां प्राधिकारी शब्द का प्रयोग किया गया है वहां इंदौर विकास प्राधिकारी, इंदौर के उत्तराधिकारी का भी समावेश होगा एवं इसी प्रकार लीजगृहिता शब्द में उसके उत्तराधिकारी का भी समावेश है ऐसा माना जावेगा।

संलग्न – साईट प्लान.

गवाह :-

1. Sachanand
Sachanand S/o Bhagwandas
6 Model TOWN
INDORE

2. [signature]
Lalchand S/o Ramlal
Bijalpur Indore

निष्पादक/प्रथमपक्ष

संपदा अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

संपदा अधिकारी

इंदौर विकास प्राधिकारी, इंदौर

लीजगृहिता/द्वितीयपक्ष,

[signature]

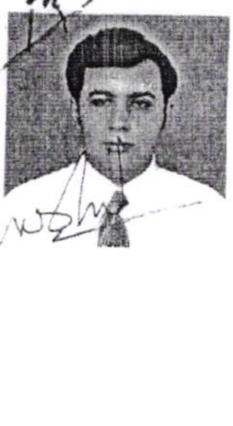

[signature]

10 Rs.

संपदा अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

1000 Rs.

संपदा अधिकारी,
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

पुरवणी

संपदा अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

500Rs.

संपदा अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर

1000Rs.

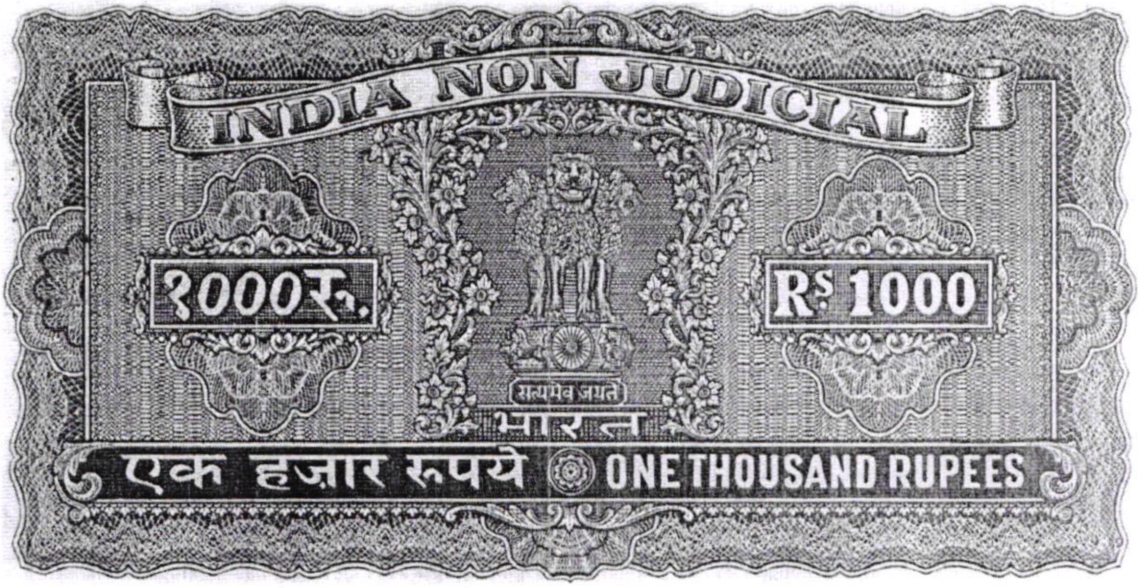

लि.- ईश्वर विनायक जोगळेकर यां

वा.सा - श्री सुशीलकुमार श्री. [illegible]

1000Rs.

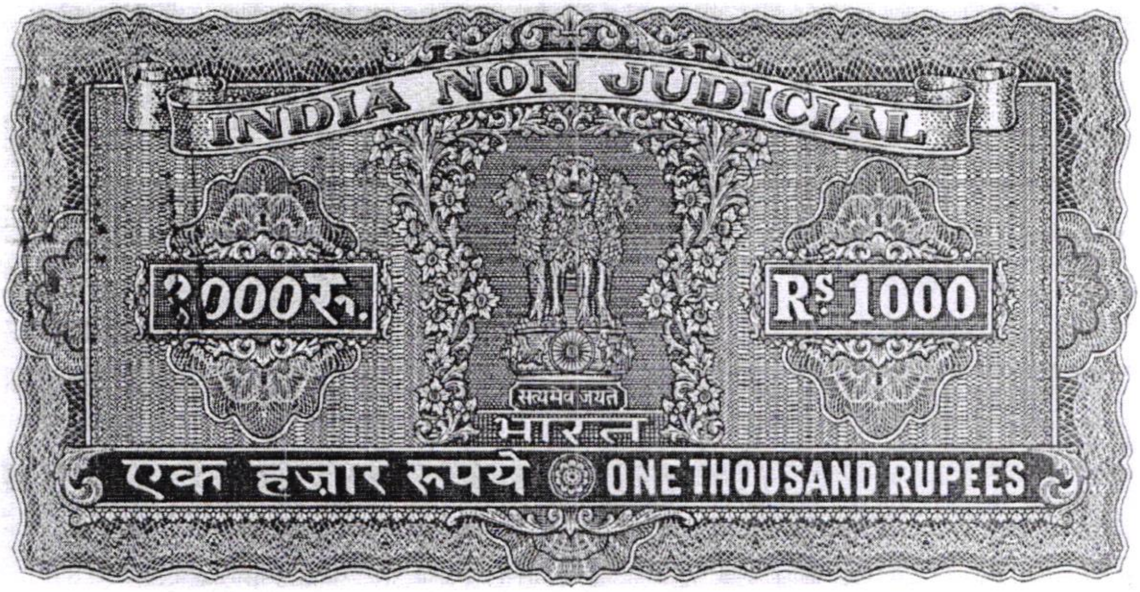

वि – इंदौर विकास [illegible]

[illegible] श्री सुशील कुमार जी जैन ([illegible])

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

वि० – [illegible]

क्रेता – श्री सुशीला कुमारी [illegible]

रसीद / पावती

Indore Nagar Nigam

संपत्ति कर

उपभोक्ता रसीद

म्युनिसिपल एक्ट 1956 सेक 186

दिनांक 30.06.2020

रसीद क्र 152-200630-11304551

निर्धारण वर्ष 2020-21

नई संपत्ति आईडी 1000861751

आधार क्र

मोबाइल नंबर 9302103755

पुरानी संपत्ति आईडी 41242171100025

भवन क्र

संपत्ति स्वामी SHUSHIL KUMAR SACHCHANANDJI DHANWANI

पता SCH. NO. 43 102 SANJAY SHOPPING COMPLEX B.T. NEAR SANJAY [illegible] 08/68 SETU INDORE स्कीम न.

परिक्षेत्र क्र. 04

प्लाट एरिया

संपत्ति कर एवम अन्य कर नीचे दिए गये विवरण के आधार पर गणना की गई है।

संपत्ति के प्रकार	उपयोग फैक्टर	तल क्र.	निर्माण के प्रकार	निर्मित क्षेत्र	दर	वा. भा. मुल्य	छूट (१०%)	शु.वा. भा. मुल्य
व्यावसायिक	स्वयं - उपयोग	1 मंज़िल	[illegible]	[illegible]	48	9936.00	993.6	8942.40

वर्ष	संपत्ति कर	समेकित कर	नगरीय विकास उपकर	शिक्षा उपकर	सेवा कर	जल निकास कर	फॉर्म शुल्क	जल अभिकर	रिबेट	अधिभार शुल्क	अग्रिम जमा	कुल
2020-21	537.00	268.00	179.00	179.00	0.00	[illegible]	10.00	54.00	34.00	0.00	0.73	1,300.73
Total	537.00	268.00	179.00	179.00	0.00	107.00	10.00	54.00	34.00	0.00	0.73	1,300.73

भरी गई राशि 1301 तारीख 30.06.2020 [illegible] Cash

कुल वर्तमान : 1334 कुल बकाया : 0.27 कुल छूट : 34.00

कुल जमा राशि : 1301

केश काउन्टर 9292 नगर पालिक निगम इन्दौर

टिप्पणी 20-21, कुल माग = 1301.00 ,भुगतान= 1301.00 ,शेष = 0

यह रसीद स्वामित्व का प्रमाण नहीं है।

0000000 0000000

कैशियर/सहायक राजस्व/राजस्व निरीक्षक हस्त

* www.mpenagarpalika.gov.in पर भुगतान कर सकते है।